भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1179
29/07/2026 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में एकीकृत जलीय कृषि पार्क

1179 श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः
क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले में अनुमोदित किए गए एकीकृत जलीय कृषि पार्क के कार्यान्वयन में हुई देरी का रोज़गार सृजन करने और जल कृषि निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकल किया है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से परियोजना की लागत में संशोधन या परियोजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत 2022-23 के दौरान 52.85 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 88.08 करोड़ रुपए की कुल लागत पर बापटला जिले में एकीकृत एक्वापार्क की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना को केंद्रीय शेयर की पहली किस्त जारी होने के बाद दो वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था। एक्वा पार्क के तहत मंजूर की गई प्रमुख गतिविधियां हैं: (i) सीवीड पार्क, (ii) फिश डिवीजन, (iii) श्रिम्प डिवीजन, (iv) क्रैब डिवीजन, (v) सीफ़ूड प्रोसेसिंग पार्क और (vi) सजावटी मत्स्य प्रौद्योगिकी पार्क, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन और निर्यात उन्मुख जलकृषि विकास को बढ़ावा देना है। जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य ने एक्वापार्क के कारण होने वाले रोजगार सृजन और जलकृषि निर्यात का कोई आकलन नहीं किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जून 2026 तक एक्वापार्क की 49.30% वास्तविक प्रगति हासिल कर ली गई थी।

(ग) से (ङ): एक्वापार्क की परियोजना लागत बढ़ाने का प्रस्ताव 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। हालाँकि, इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह पीएमएमएसवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

****